दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

शेख हसीना प्रत्यर्पण माँग: भारत के विकल्प

www.nextias.com

शेख हसीना प्रत्यर्पण माँग: भारत के विकल्प

संदर्भ

- हाल ही में, नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से औपचारिक रूप से शेख हसीना को षड्यंत्र, नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोपों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्पण का परिचय

- यह एक औपचारिक प्रक्रिया है, जिसमें एक देश दूसरे देश में किसी अपराध के आरोपी या दोषी व्यक्ति से आत्मसमर्पण का अनुरोध करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि भगोड़े सीमा पार भागकर न्याय से बच न सकें।
- प्रत्यर्पण संधियों और व्यवस्थाओं के अपने व्यापक नेटवर्क के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत का प्रत्यर्पण ढाँचा

- भारत की प्रत्यर्पण प्रक्रिया 1962 के प्रत्यर्पण अधिनियम द्वारा शासित होती है, जो प्रत्यर्पण अनुरोधों के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।
- इसमें प्रत्यर्पण के अनुरोध एवं अनुमोदन दोनों के लिए प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है, तथा यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रक्रिया पारदर्शी हो और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करती हो।

प्रत्यर्पण संधियों का महत्त्व

- **कानूनी सहयोग को सुदृढ़ करना:** इससे यह सुनिश्चित होता है कि भगोड़े सीमा पार करके न्याय से बच न सकें, जिससे कानून का शासन कायम रहेगा।
    - उदाहरण के लिए, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका (1997), यूनाइटेड किंगडम (1992), कनाडा और बांग्लादेश (2013, 2016 में संशोधित) सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे गंभीर अपराधों के आरोपी या दोषी व्यक्तियों के प्रत्यर्पण को सुगम बनाना।
- **राजनयिक संबंधों को बढ़ाना:** यह आपसी विश्वास और सीमाओं के पार आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
    - उदाहरण के लिए, भारत और थाईलैंड के बीच प्रत्यर्पण संधि (जिस पर 2013 में हस्ताक्षर हुए थे) भगोड़ों से संबंधित मुद्दों के समाधान और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण रही है।
    - ऐसी संधियों से अक्सर रक्षा, व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर व्यापक समझौते होते हैं, जिससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला:** उग्रवाद और आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और धन शोधन जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए प्रत्यर्पण संधियाँ महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रत्यर्पण संधियों में चिंताएँ और चुनौतियाँ

कानूनी एवं प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ:

- **कानूनी प्रणालियों में अंतर:** विभिन्न देशों में प्रायः अलग-अलग कानूनी प्रणालियाँ और साक्ष्य के मानक होते हैं, जो प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं को जटिल बना सकते हैं।
    - उदाहरण के लिए, एक देश में जो अपराध माना जाता है, उसे दूसरे देश में अपराध नहीं माना जा सकता।

- **मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ:** यदि इस बात का जोखिम हो कि व्यक्ति को अनुरोधकर्ता देश में यातना, अमानवीय व्यवहार या अनुचित सुनवाई का सामना करना पड़ सकता है, तो प्रत्यर्पण अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
  - यह उन देशों के मामलों में एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है जिनका मानवाधिकार रिकॉर्ड खराब है।

राजनीतिक और कूटनीतिक मुद्दे:

- **राजनीतिक अपराध:** विभिन्न प्रत्यर्पण संधियों में राजनीतिक अपराधों के लिए अपवाद शामिल हैं।
  - इससे इस बात पर विवाद उत्पन्न हो सकता है कि अपराध की प्रकृति राजनीतिक है या नहीं, जैसा कि शेख हसीना के मामले में देखा गया, जहां राजनीतिक प्रेरणा एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
- **राजनयिक संबंध:** प्रत्यर्पण अनुरोध राजनयिक संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकता है, विशेष रूप से यदि अनुरोधित व्यक्ति कोई उच्च-स्तरीय व्यक्ति हो या यदि अनुरोध को राजनीति से प्रेरित माना जाता हो।

व्यावहारिक एवं तार्किक चुनौतियाँ:

- **साक्ष्य और दस्तावेज:** प्रत्यर्पण अनुरोध के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य और दस्तावेज एकत्र करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  - अनुरोधकर्ता देश को प्रत्यर्पण को उचित ठहराने के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करनी होगी, जो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है।
- **न्यायिक विलंब:** प्रत्यर्पण से संबंधित कानूनी कार्यवाही लंबी चल सकती है, जिससे प्रत्यर्पण प्रक्रिया में देरी हो सकती है।
  - इसका कारण अपील, कानूनी चुनौतियाँ या नौकरशाही संबंधी बाधाएँ हो सकती हैं।

भारत के लिए विकल्प बांग्लादेश के लिए

- **प्रत्यर्पण अनुपालन:** भारत प्रत्यर्पण अनुरोध का अनुपालन कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर बल मिलता है।
  - हालाँकि, इस विकल्प से राजनीतिक प्रतिक्रिया का खतरा है और इसे बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक संघर्ष में भारत का पक्ष लेने के रूप में देखा जा सकता है।
- **प्रत्यर्पण से मनाही:** भारत और बांग्लादेश ने सीमा पार से सक्रिय भगोड़ों से निपटने के लिए 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हालाँकि, संधि के अस्तित्व में आने के बाद भारत को शेख हसीना को सौंपना अनिवार्य नहीं है।
  - संधि के अनुसार, यदि अपराध राजनीतिक हो तो प्रत्यर्पण से मना किया जा सकता है। हालाँकि, हत्या, जबरन गायब कर देना और यातना जैसे अपराध, जिनके तहत हसीना पर आरोप लगाए गए हैं, उन्हें राजनीतिक अपराध नहीं माना जाता है और उन्हें इस श्रेणी से बाहर रखा गया है।
  - यह दृष्टिकोण भारत के पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत के अनुरूप होगा और शेख हसीना के राजनीतिक गुट के साथ उसके रणनीतिक संबंधों को सुरक्षित रख सकेगा।
- **सशर्त प्रत्यर्पण:** भारत विशिष्ट शर्तों के तहत शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने पर सहमत हो सकता है, जैसे निष्पक्ष सुनवाई और मानवीय व्यवहार की गारंटी।
  - यह दृष्टिकोण कानूनी दायित्वों और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करेगा।
- **तृतीय पक्ष मध्यस्थता:** भारत स्थिति में मध्यस्थता के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय को शामिल करने का प्रस्ताव कर सकता है।
  - इससे निष्पक्षता और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष और आगे की राह

- शेख हसीना की प्रत्यर्पण माँग पर भारत के निर्णय के लिए कानूनी, कूटनीतिक और रणनीतिक कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
- प्रत्यर्पण का अनुरोध करने वाले देश को यह प्रदर्शित करना होगा कि अपराध गंभीर है तथा व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है।
- मानवाधिकार संबंधी विचार भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यदि अनुरोधकर्ता देश में यातना या अनुचित सुनवाई का खतरा हो तो प्रत्यर्पण अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
- क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों को कायम रखने के लिए इन तत्वों में संतुलन बनाए रखना महत्त्वपूर्ण होगा।

Source: TH

■■■■

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न. प्रत्यर्पण माँगों पर भारत की प्रतिक्रिया से जुड़ी जटिलताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारतीय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रत्यर्पण प्रक्रिया में घरेलू कानूनों, द्विपक्षीय संधियों और न्यायिक विवेक की भूमिका की जाँच कीजिए।